8 का जवाब प्रार्थना-पत्र हेतु बार-बार अवसर दिये जाने के बावजूद जवाब पेश नहीं किया गया है। अतः अशक्ति सं. 4 ता 5, 8 की जवाब देही बंद की जाती है, पत्रावली दिनांक 21.03.18 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर (सीकर)

21.3.18 पत्रावली पेश हुई। वास्ते बहस व निर्णय हेतु प्रार्थना-पत्र दिनांक 25.04.18 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर (सीकर)

25.04.18 पत्रावली पेश हुई। वकील वादीगण प्रतिवादीगण उपस्थित। एस.डी.ओ. साहब अन्य कार्य में व्यस्त है। भ्रमण पर है। मिसल गत आदेशानुसार दिनांक 26.06.18 को पेश हो।

2758-64
18-05-18

26.06.18 पत्रावली कैम्प कोर्ट अठवास पर पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित। प्रकरण से संबंधित वाद फैसल हो चुका है। अतः प्रार्थना-पत्र फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद जाप्ता कार्यवाही मूल वाद के सलंग्न हो।

(रेनू मीणा)
अध्यक्ष
लोक अदालत
फतेहपुर शेखावाटी
उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर (सीकर)